



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 02 जनवरी, 2025

थाना ककोड

जिला बदर शातिर अपराधी अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 01.01.2025 को थाना ककोड पुलिस द्वारा एक जिला बदर अपराधी को अलीपुर बम्बे की पुलिया के पास से अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 04-09-2024 को 06 माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड पर मुअसं-02/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. जुगेन्द्र उर्फ जोगिन्द्र पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम बैलाना थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त जुगेन्द्र उर्फ जोगिन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 02/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0स0 216/22 धारा 380 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0स0 218/22 धारा 379/411 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
4. मु0अ0स0 245/22 धारा 379 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मौ0 शारिक बैग, उ0नि0 अंकित कुमार
2. का0 अशोक कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर